न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :- राधेश्याम मीणा (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या: 35/23 दायर दिनांक: 30.10.2023
जीसीएमएस नं. 2023/339

भगवानसिंह पुत्र श्री रामदयाल जाति जाट नि. नैवाडा तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.

—प्रार्थी

बनाम

राज. सरकार जरिये तहसीलदार, भुसावर जिला भरतपुर राज.

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136
राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956
अधिवक्ता– 1.श्री सुरेन्द्र चौधरी —प्रार्थी
2.पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 18.11.2024

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.ए. के तहत पेश किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आ.ख.नं. 208 रकबा 0.56, 1089 रकबा 0.48 हैक्टे. वाके ग्राम नैवाडा व ख.नं. 03 रकबा 0.34 हैक्टे. वाके ग्राम रूँध नैवाडा तह. भुसावर प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है।

उक्त आराजी पर प्रार्थी का कब्जा है एवं काश्त करता चला आ रहा है तथा समस्त खातेदारी अधिकारी प्रार्थी को प्राप्त है।

प्रार्थी द्वारा ख.नं. 208/0.56, 1089/0.48 वाके ग्राम नैवाडा व ख.नं. 03/0.34 वाके ग्राम रूँध नैवाडा की राजस्व नक्शे में राजस्व विभाग के माप यंत्र "कंघी, परकार व गुनिया (1:4000)" से माप करने पर उक्त खसरों का रकबा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रकबा में कम प्राप्त हुआ जिसके उपरांत उक्त खसरों से लगे हुये नंबरान की राजस्व नक्शे में माप की जिससे स्पष्ट हुआ कि सैटलमेंट विभाग द्वारा करवाये गये नवीन बंदोबस्त में सैटलमेन्ट कार्मिकों द्वारा बंदोबस्त करते समय राजस्व नक्शे में खसरे में खसरे की मेढ़ों को मौके से भिन्न कर दिया गया है। जिसके कारण खसरे का रकबा नक्शे में मूल रकबा से कम हो गया है।

ख.नं. 208 रकबा 0.56 हैक्टे की राजस्व विभाग के माप यंत्रों से नक्शे में माप कर रकबा निकालने पर 0.51 हैक्टे. रकबा प्राप्त होता है जो कि खसरा के मूल रकबा 0.56 हैक्टे. से 0.05 हैक्टे. कम है जिसकी मेढ़ों से लगे हुये नंबरान की जांच करने पर ख.नं. 208 की दक्षिणी मेढ़ से लगे हुये खसरा नंबर 209 रकबा 0.54 हैक्टे. का रकबा माप यंत्रों से मापने पर 0.59 हैक्टे. प्राप्त होता है जो कि खसरा के मूल रकबा 0.54 हैक्टे. से 0.05 हैक्टे. अधिक है। जिससे स्पष्ट होता कि सैटलमेंट विभाग के कार्मिकों द्वारा ख.नं. 208 की दक्षिणी मेढ़ को राजस्व नक्शे में उत्तर दिशा की तरफ सरका दिया है, जिसके कारण ख.नं. 208 का रकबा 0.05 हैक्टे. कम व 209 का रकबा 0.05 हैक्टे. अधिक हो गया है, जो मौके के विरूद्ध व अशुद्ध है। जिसे प्रार्थी शुद्ध कराने का अधिकारी है। जिसे शुद्ध किया जाना आवश्यक है।

ख.नं. 1089 रकबा 0.48 हैक्टे. की राजस्व विभाग के माप यंत्रों से नक्शे में माप कर रकबा निकालने पर 0.39 हैक्टे. रकबा प्राप्त होता है जो कि खसरा के मूल रकबा 0.48 हैक्टे. से 0.09 हैक्टे. कम है जिसकी मेढों से लगे हुये नंबरान की जांच करने पर ख.नं. 1089 की दक्षिणी मेंढ़ से लगे हुये ख.नं. 1065 रकबा 0.50 हैक्टे. का रकबा माप यंत्रों से मापने पर 0.59 हैक्टे. प्राप्त होती है जो कि खसरा के मूल रकबा 0.50 हैक्टे. से 0.09 हैक्टे. से अधिक है। जिससे स्पष्ट होता है कि सैटलमेंट विभाग के कार्मिकों द्वारा ख.नं. 1089 की दक्षिणी मेंढ़ को राजस्व नक्शे में उत्तर दिशा की तरफ सरका दिया है जिसके कारण ख.नं. 1089

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज०

का रकबा 0.09 हैक्टे. कम व 1085 का रकबा 0.09 हैक्टे. अधिक हो गया है जो मौके के विरूद्ध व अशुद्ध है। जिसे प्रार्थी शुद्ध कराने का अधिकारी है। जिसे शुद्ध किया जाना आवश्यक है।

ख.नं. 03 रकबा 0.34 हैक्टे. की राजस्व विभाग के माप यंत्रों से नक्शे में माप कर रकबा निकालने पर 0.29 हैक्टे. रकबा प्राप्त होता है जो कि खसरा के मूल रकबा 0.34 हैक्टे. से 0.05 हैक्टे. कम है जिसकी मेढ़ों से लगे हुये नंबरान की जांच करने पर ख.नं. 03 की पूर्वी मेंढ़ से लगे हुए ख.नं. 04 रकबा 0.34 हैक्टे. का रकबा माप यंत्रों से मापने पर 0.39 हैक्टे. प्राप्त होता है जो कि खसरा के मूल रकबा 0.34 हैक्टे. से 0.05 हैक्टे. अधिक है जिससे स्पष्ट होता है कि सैटलमेंट विभाग के कार्मिकों द्वारा ख.नं. 03 की पूर्वी मेंढ़ को राजस्व नक्शे में पश्चिम दिशा की तरफ गलत तरमीम कर दिया है जिसके कारण ख.नं. 03 का रकबा 0.05 हैक्टे. कम व ख.नं. 04 का रकबा 0.05 हैक्टे. अधिक हो गया है जो मौके के विरूद्ध व अशुद्ध है। जिसे प्रार्थी शुद्ध कराने का अधिकारी है। जिसे शुद्ध किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर नक्शा राजस्व में दुरूस्त किया जावें।

हमने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलवी जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा की गई। नोटिस की ताईद में तहसीलदार, भुसावर द्वारा अपनी रिपोर्ट उनके पत्रांक/एल.आर./2024/3646 दिनांक 10.09.2024 द्वारा प्रस्तुत की गयी।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस प्रार्थी अधिवक्ता पर मनन किया गया तथा तहसीलदार, भुसावर की रिपोर्ट का भली भांति अध्ययन किया गया तो पाया कि तहसीलदार, भुसावर द्वारा अपनी रिपोर्ट में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को स्वीकार किया गया है।

अतः मुताबिक तहसीलदार, भुसावर रिपोर्ट के आधार पर हम प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित पाते है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, भुसावर को आदेशित किया जाता है कि आ.ख.नं. 208 रकबा 0.56 हैक्टे. वाके ग्राम नैवाडा जिसका 0.05 हैक्टे. रकबा ख.नं. 209 में अधिक है कि दक्षिणी मेंढ़ को ख.नं. 209 रकबा 0.54 हैक्टे. के उत्तर दिशा में 0.05 हैक्टे. रकबा बढ़ाकर एवं आ.ख.नं. 1089 रकबा 0.48 हैक्टे. वाके ग्राम नैवाडा जिसका 0.09 हैक्टे. रकबा ख.नं. 1085 में अधिक है कि दक्षिणी मेंढ़ को ख.नं. 1085 रकबा 0.50 हैक्टे. के उत्तर दिशा में 0.09 हैक्टे. रकबा बढ़ाकर व आ.ख.नं. 03 रकबा 0.34 हैक्टे. वाके ग्राम रूँध नैवाडा जिसका 0.05 हैक्टे. रकबा ख.नं. 04 में अधिक है कि पूर्वी मेंढ़ को ख.नं. 04 रकबा 0.34 हैक्टे. के पश्चिम दिशा में 0.05 हैक्टे. रकबा बढ़ाकर राजस्व नक्शे में दुरूस्त किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 18.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी,
भुसावर (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज०